न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 105/2018

1 ताराचन्द पुत्र नाहरूराम जाति जाट निवासी बास भीमसरिया तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2 मु. रतनी देवी पुत्री नाहरूराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी खुड़ाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 सावित्री पत्नी बीरबल।
4 संदीप कुमार पुत्र बीरबल।
5 सुनिल कुमार पुत्र बीरबल।
6 श्रवण पुत्र शोभाराम।
7 रामेश्वर पुत्र शोभाराम।
8 श्रीमती कमला पत्नी जयराम।
9 गुगन पुत्र जयराम।
10 प्रदीप पुत्र जयराम समस्त जाति जाट निवासीगण बास भीमसरिया (कोलिण्डा का बास) तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
11 श्रीमती पूनम पुत्री जयराम पत्नी सुमित कुमार जाति जाट निवासी कालेरा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
12 बनवारी पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी बास भीमसरिया कोलिण्डा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
12/1 संजीव कुमार जाईन्दा पुत्र बीरबलराम दत्तक पुत्र बनवारी उम्र 39 वर्ष जाति जाट निवासी बास भीमसरिया कोलिण्डा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
13 सरस्वती पुत्री शोभाराम पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी खुड़ाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 परमेश्वरी पत्नी रामलाल।
2 विक्रम सिंह पुत्र रामलाल।
3 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामलाल।
4 महेन्द्र सिंह पुत्र रामलाल समस्त जाति जाट निवासीगण बास भीमसरिया कोलिण्डा का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5 जवाहरलाल पुत्र सुखदेव।
6 सुरेश कुमार पुत्र खांगाराम।
7 प्रमोद कुमार पुत्र खांगाराम।
8 शीशराम पुत्र भारूराम।
9 श्रवण कुमार पुत्र भारूराम।
9/1 बनारसी पत्नी भारूराम।
10 कानाराम पुत्र सुखदेव समस्त जाति जाट निवासीगण रामसरा का बास तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
11 देवकरण पुत्र लालचन्द।
12 शशिकान्त पुत्र श्योकरण।
13 जगदीप पुत्र श्योकरण।
13/1 नरपती पत्नी श्योकरण समस्त जाति जाट निवासीगण सिरियासर कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
13/2 लक्ष्मी पुत्री श्योकरण पत्नी राकेश झाझड़िया जाति जाट निवासी कबीलसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
14 श्योपाल पुत्र लालचन्द।
15 मातुराम पुत्र लालचन्द।
16 विजय सिंह पुत्र लालचन्द।
17 राजबाला पत्नी प्रकाश समस्त जाति जाट निवासीगण सिरियासर कलां तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

17/1 योगिता पुत्री प्रकाश।
17/2 चन्द्रभान पुत्र प्रकाश समस्त जाति जाट निवासीगण सिरियासर कलां तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता खुद राजबाला पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी सिरियासर कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
18 श्रीमती श्याना देवी पुत्री लालचन्द व स्व. जमना देवी पत्नी घड़सीराम जाति जाट निवासी गीनड़ी ताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
19 नानूराम पुत्र नानूराम।
20 जगदीश पुत्र नानूराम।
21 शुभकरण पुत्र नानूराम समस्त जाति जाट निवासीगण धीरासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
22 परमेश्वरी पुत्री नानूराम पत्नी भरूराम जाति जाट निवासी जीत की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
23 सावित्री पुत्री नानूराम पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
24 श्रीमती संतोष पुत्री नानूराम पत्नी फुलचन्द जाति जाट निवासी ठिमोली तहसील व जिला झुंझुनू।
25 श्रीमती किताब पुत्री नानूराम पत्नी करणीराम जाति जाट निवासी हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
26 श्रीमती विमला पुत्री नानूराम पत्नी श्योदान जाति जाट निवासी सीतसर तहसील व जिला झुंझुनू।
27 बनारसी पुत्री नानूराम पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
28 भगवानाराम पुत्र भगवताराम।
29 होशियार सिंह पुत्र भगवताराम।
30 जगदीश पुत्र भगवताराम समस्त जाति जाट निवासीगण डाबड़ी धीर सिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
31 कमला पुत्री भगवताराम पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

32 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू हाल तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा उनवानी मृतक
रामलाल बनाम ताराचन्द वगैरह दावा बाबत घोषणा
व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर
54/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2012

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 06.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 54/2011 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रामलाल, सिकोरी देवी, जमना देवी एंव मोहनी देवी ने अपीलांट संख्या 01 एवं नारायणी देवी तथा केशर देवी व बीरबल तथा अपीलांट संख्या 06 व 07 तथा जयराम व अपीलांट संख्या 12 एवं 13 तथा रेस्पोडेंट संख्या 32 के विरूद्व अदालत मातहत के यहां एक दावा जमीन हाल खसरा नम्बर 286,287,317,318,318/666 कुल रकबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8.78 हैक्टेयर सरहद मौजा कोलिण्डा एवं जमीन हाल खसरा नम्बर 244,279, 280 कुल रकबा 7.91 हैक्टेयर सरहद मौजा बास भीमसरिया के बाबत प्रस्तुत किया। दावा दायरी के वक्त उक्त ग्राम कोलिण्डा एवं बास भीमसरिया झुंझुनू तहसील के तहत के गांव रहे है जो वर्तमान मे नवसृजित तहसील मलसीसर के तहत है। दौराने दावा वादी संख्या 01 रामलाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को बतौर वादी संख्या 01/01 से 01/04 पक्षकार अदालत मातहत के यहां बनाये गये जो वर्तमान में अपील में बतौर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 है। दावा के वादीया संख्या 02 से 04 कमश सिकोरी देवी, जमना देवी एवं मोहरी देवी का देहान्त निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद हुआ। सिकोरी देवी के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 05 व 10 तथा खंगाराम व भारूराम पुत्र होने से है। सिकोरी देवी के पुत्र खंगाराम व भारूराम का देहान्त हो गया है। खंगाराम के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 06 व 07 तथा भारूराम के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 08 व 09 तथा 9ए कमशः पुत्रगण एवं पत्नी है। सिकोरी देवी के पति का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार सिकोरी देवी के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 05 से 10 है। जमना देवी के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 11,14,15,16,18 व श्योकरण तथा प्रकाश पुत्रगण व पुत्री होने से है। श्योकरण व प्रकाश की मृत्यु हो गई है। श्योकरण के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 12 व 13 तथा 13ए कमशः पुत्र एवं पत्नी है। प्रकाश का वारिस रेस्पोडेंट संख्या 17 एवं 17ए व 17बी कमशः पत्नी पुत्री व पुत्र है। इस प्रकाश जमना देवी के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 11 से 18 है। मोहरी देवी के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 19 से 27 कमशः पति, पुत्र व पुत्री से है। नाराणी देवी, केशर देवी, बीरबल व जयराम कमश दावा के प्रतिवादी संख्या 2,4,5 व 8 का देहान्त निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद हुआ। नाराणी देवी के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 28 से 31 कमशः पति व पुत्रगण व पुत्री होने से हुये। केशर देवी के वारिस उसके पुत्र रामलाल, बीरबल, जयराम तथा अपीलांट संख्या 6,7,12 व पुत्री अपीलांट संख्या 13 है। बीरबल के वारिस अपीलांट संख्या 03 से 05 कमशः पत्नी व पुत्रगण होने से है। जयराम के वारिस अपीलांट संख्या 08 से 11 कमशः पत्नी व पुत्रगण व पुत्री होने से है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रामलाल के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 पत्नी व पुत्रगण होने से है। अदालत मातहत ने उक्त दावा को एकपक्षीय रूप से दिनांक 13.08.2012 को निर्णित कर बहक वादीगण डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 को स्वीकार किया जा चुका है। इसमे अपीलांट की तामील/सुनवाई पर्याप्त रूप से नही होना विवेचित किया गया है। इस न्यायालय के धारा 5 के आदेश दिनांक 28.10.2021 की अपील प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में वादी ने विभाजन का अनुतोष चाहे बिना घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार पोषणीय नही है। रेस्पोडेंट का दावा दायरी के समय कब्जा काश्त नही था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने खातेदार घोषित कर विधिक त्रुटि की है। दावा दायरी की मियाद 12 वर्ष है, प्रस्तुत वाद 55 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य था। विचारण न्यायालय को धारा 63(4) के प्रावधानों पर विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। नानु देवी द्वारा अपना हिस्सा हक त्याग करना कथित किया गया है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। वादी द्वारा नानु देवी के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के कारण खारिज योग्य है। वादी का वाद राजस्व रिकार्ड से साबित नही है। दिनांक 05.03.2009 को नामान्तकरण संख्या 104 स्वीकृत किया गया है। वादी द्वारा इस नामान्तकरण को कभी चुनौति नही दी गई है। वादी ने रामलाल की वल्दियत के सन्दर्भ में सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही नही की है। वादी का पूर्व में वादी संख्या 175/2008 अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। वादी ने इस तथ्य को छिपाकर नया दावा प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्व है। विधि अनुसार विभाजन का वाद कभी भी अबैट नही होता है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थ में आर.आर..डी. 1984 पेज 111,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पटेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

डी.एन.जे. 1998 पेज 61, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 424, आर.बी.जे. 2008 पेज 447, डी.एन.जे. 2015 एस.सी. पेज 584, डी.एन.जे. 2015(2) पेज 774, ए.आई.आर. 2014पेज 35, आर.आर.डी 1990 पेज 425, ए.आई.आर 2016 पेज 89, डी.एन.जे. एस.सी. 2017 पेज 145, आर.आर.टी. 2011–12 पेज 489 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि हीराराम की खातेदारी में होना एवं सजरा खानदान सही होना स्वीकार किया है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पूर्व भी उत्तराधिकार प्राप्त होता था। वर्ष 2005 में हिन्दु उत्तराधिकार 1956 की धारा 6 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुत्रियों को पुत्र के समान सहदायिक के रूप में अधिकार प्राप्त होंगे, इस तथ्य से अधिकार प्रभावित नही होगें कि पिता की मृत्यु कब हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में नानु देवी ने मौखिक रूप से हक त्याग किया है। विधि अनुसार हक त्याग पंजिकृत होना आवश्यक नही है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि विभाजन के अनुतोष के बिना घोषणा का वाद नही लाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रामलाल शोभाराम का पुत्र भी माना जाता है तो भी वादी सहखातेदार होता है। विधि अनुसार सहखातेदार को कब्जा साबित करने की आवश्यकता नही होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिशिष्ट तृतीय की धारा 5 के अनुसार घोषणा के वाद की मियाद निर्धारित नही है। धारा 63(4) के प्रावधान अजनबी व्यक्ति पर लागु होते है। सहखातेदार पर लागु नही होते है। यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 इस न्यायालय द्वारा स्वीकार अवश्य किया गया है किन्तु इससे प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित असर नही होता है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2015(4) पेज1696, डी.एन.जे. 2015(3) पेज 828, डी.एन.जे. 2016(3) पेज 1428, डी.एन.जे. 2017(1) पेज 290 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित भूमि हीराराम की खातेदारी में होना एवं सजरा खानदान सही होना स्वीकार किया है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पूर्व भी उत्तराधिकार प्राप्त होता था। वर्ष 2005 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुत्रियों को पुत्र के समान सहदायिक के रूप में अधिकार प्राप्त होंगे, इस तथ्य से अधिकार प्रभावित नही होगें कि पिता की मृत्यु कब हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में नानु देवी ने मौखिक रूप से हक त्याग किया है। जिसका कभी उज्र नही उठाया गया है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि विभाजन के अनुतोष के बिना घोषणा का वाद नही लाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रामलाल शोभाराम का पुत्र भी माना जाता है तो भी वादी सहखातेदार होता है। विधि अनुसार सहखातेदार को कब्जा साबित करने की आवश्यकता नही होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिशिष्ट तृतीय की धारा 5 के अनुसार घोषणा के वाद की मियाद निर्धारित नही है। धारा 63(4) के प्रावधान अजनबी व्यक्ति पर लागु होते है। सहखातेदार पर लागु नही होते है। यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 इस न्यायालय द्वारा स्वीकार अवश्य किया गया है किन्तु इससे प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित असर नही होता है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर